# vè;k; 4

## jlne eas rS;kjh% [kk|kUUk dk vkcaVu] <qykbZ ,oa Hk.Mkj.k

### 4-1 [kk|kUUk dk vkcaVu

एन.एफ.एस.ए. की धारा 22(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार, पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को खद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, टी पी डी एस के अंतर्गत राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की अपेक्षित मात्रा आबंटित करेगी।

खाद्यान्न के आबंटन हेतु, एक राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार को पैरा 1.5 में किए गए संदर्भ के अनुसार, मंत्रालय द्वारा विकसित प्रोफॉर्मा के माध्यम से एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वय हेतु अपनी तैयारी प्रमाणित करनी अपेक्षित थी।

राज्य सरकारों तथा सं.शा. क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा की जांच के पश्चात, मत्रालय ने उन्हें गेंहू और चावल क्रमशः ₹ 2 प्रति किलोग्राम तथा ₹ 3 प्रति किलोग्राम की दर पर आबंटित करना शुरू कर दिया। मंत्रालय ने सामान्य टी पी डी एस के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम कीमत पर शेष गैर कार्यान्वयन राज्यों को गेहूं और चावल आबंटित किया।

### 4-2 [kk|kUUk dk <qykbZ

एन.एफ.एस.ए. की धारा 22(4) (ई) के अनुसार, केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य/सं.शा. क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा डिपों को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्न का परिवहन उपलब्ध कराएगी। टी पी डी एस तथा अन्य कल्याण योजनाओं (ओ डब्लू एस) के अंतर्गत खाद्यान्न का विवरण भारत सरकार द्वारा किए गए मासिक आबंटन तथा विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की खरीद के आधार पर किया जाता है। खाद्यान्न का स्टॉक भी खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डार सृजित करने के लिए उपयोग आवश्यकता को ध्यान में रखें बिना उपभोक्ता राज्यों को ले जाना होता है। रेल तथा सड़क द्वारा खाद्यान्न के अंतर्राज्यीय ढुलाई तथा 2011–12 से 2014–2015 की अवधि के दौरान ढुलाई की स्थिति निम्न प्रकार से थी।

rkfydk 4% ,Q lh vkbZ }kjk jsy rFkk lM+d }kjk [kk|kUUk dk <qykbZ

¼ek=k yk[k eh-V- esa½

| fooj.k | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| समग्र ढुलाई | jsy | 303.23 | 321.33 | 369.35 | 389.32 |
| | lM+d | 24.54 | 27.85 | 25.37 | 19.12 |
| | tksM+ | **327.27** | **349.18** | **394.72** | **408.44** |

स्रोतः एफ सी आई वेबसाईट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन पर, अधिप्राप्ति राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को ले जाने के लिए अपेक्षित खाद्यान्न की मात्रा काफी बढ़ जाएगी तथा स्थायी समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार रैकों की मांग भी लगभग 20 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान खाद्यान्न के परिवहन हेतु एफ सी आई द्वारा रैकों की मांग और रेलवे द्वारा उसे उपलब्ध कराने से संबंधित सूचना चार्ट 5 में दी गई हैं।

pkVZ 5% ekax ds ifr jSdksa dh miyC/krk

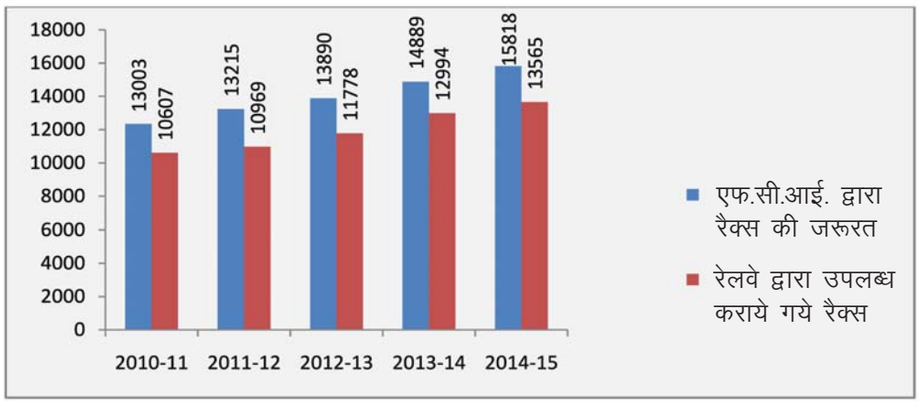




स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

उपर्युक्त चार्ट यह दर्शाता है कि रेलवे द्वारा रैंकों का प्रबंध करने में 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की कमी थी। इसे बताए जाने पर, मंत्रालय ने अक्टूबर, 2015 में कहा कि वास्तविक प्रेषण के प्रति नियोजित रैंकों में अंतर मुख्यतः रेलवे द्वारा रैंकों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा भारी यातायात के कारण तथा कई बार एफ सी आई की परिचालनात्मक कठिनाईयों जैसे प्राप्तकर्ता डिपो पर खाली स्थान की अनुपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा कम लिफ्टिंग तथा उपभोग क्षेत्रों में अधिप्राप्ति में वृद्धि आदि का कारण भी था।

मंत्रालय ने बताया कि राज्य में अनाज की आवाजाही के कारण टीडीपीएस/ओडब्ल्यूएस (दूसरी कल्याण योजनाओं) की पूर्ति के लिए अनाज की कमी नही है। वास्तव में रेक्स की उपलब्धता आवश्यकता से कम थी।

## 4-2-1 jk"Vªh; [kk|kUu <qykbZ ;kstuk u cukuk

मंत्रालय (अक्टूबर, 2012 में) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पर स्थायी समिति को सूचना प्रस्तुत करते समय सूचित किया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क/मार्ग द्वारा आवाजाही संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्यान्न ढुलाई योजना तैयार की जा रही है, रैक हैंडलिंग समय को कम करने के लिए एफ.सी. आई. गोदाम का मशीनीकरण करने, रेलवे द्वारा मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता वाले अच्छे शेडों, आदि रैकों की आपूर्ति, रेलवे द्वारा विलम्ब शुल्क लगाए जानें, अनलोडिंग रेलवे स्टेशनों की अवसंरचना को अद्यतन करने की तैयारी की जा

रही थी तथा इस उद्देश्य के लिए मैसर्ज प्राइसवाटर हाऊस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अध्ययन सौंपा गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि मै. प्राइसवाटर हाउस कूपर प्रा.लि. की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। एफ सी आई द्वारा सप्लाई चैन मैनेजमेंट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अनाज की आवाजाही को उन्नत किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया कि अनाज की आवाजाही में बहुत बड़ी बाधा नही थी। क्यों कि विभिन्न राज्यों में टीडीपीएस/ ओ डब्ल्यू एस/ एन.एफ.एस.ए. में वितरण के लिए पर्याप्त/प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध है।

किन्तु मंत्रालय ने ना तो एफ सी आई द्वारा उपरोक्त विषयो को सुलझाते हुए उठाए गए विशेष कदमों को स्पष्ट किया और न ही एफ सी आई/मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार के साक्ष्य दर्शाए।

## 4-3 [kk|kUUk dh Hk.Mkj.k {kerk

धारा 22(4)(ई) के अनुसार, केंद्र सरकार विभिन्न स्थानों पर अपेक्षित आधुनिक एवं भण्डारण सुविधाओं का सृजन एवं अनुरक्षण करेंगी। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के कर्तव्य के अनुसार, एन.एफ.एस.ए. की धारा 24 (5) (क) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक भण्डारण क्षमताओं का अपेक्षित संख्या में सृजन एवं अनुरक्षण करेंगे जो टी पी डी एस के अंतर्गत अपेक्षित खाद्यान्न के समायोजन हेतु पर्याप्त हों। पात्र लाभभोगियों को खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य को पर्याप्त खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता होगी। तथापि, एन.एफ.एस.ए. ने न तो भण्डारण सुविधाओं के अपग्रेडेशन हेतु कोई समय–सीमा नियत की थी और न ही मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए गए थे।

### 4-3-1 dsæh; ey LVkd lfgr ,Q lh vkbZ ds lkFk Hk.Mkj.k es deh

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010–2015 की अवधि के दौरान एफ सी आई तथा राज्य सरकार एजेंसियों (विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (डी.सी.पी.) राज्यों द्वारा अधिप्राप्त भंडार को छोड़कर) द्वारा रखा गया खाद्यान्न का बढ़ता हुआ स्टॉक, एफ सी आई के साथ भंडारण अंतर, तालिका 5 के अनुसार था:

rkfydk 5 % ,Q lh vkbZ ds lkFk Hk.Mkj.k {kerk esa vUrj

¼ek=k yk[k eh-V- esa½

| Øe- la- | 1 twu dks dsæh; iwy esa [kk|kUUk dk LVkd | Mh lh ih jkT;ksa }kjk [kk|kUUk vf/kizkfIr | ,Q lh vkbZ ds ikl [kk|kUUk dk fuoy LVkd ¼dsfæ; iwy LVkd ?kVk Mh lh ih jkT; }kjk vf/kizkIr LVkd½ | 31 ekpZ dks ,Q lh vkbZ ds ikl miyC/k dqy Hk.Mkj.k {kerk ¼viuh vkSj fdjk, ij yh xbZ½ | ,Q lh vkbZ ds lkFk Hk.Mkj.k {kerk esa vUrj | Hk.Mkj.k {kerk esa ifr'kr deh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4 (2-3)** | **5** | **6 (4-5)** | **7** |
| 2010 | 544.82 | 129.45 | 415.37 | 288.36 | 127.01 | 30.57 |
| 2011 | 581.94 | 155.59 | 426.35 | 316.10 | 110.25 | 25.85 |
| 2012 | 729.59 | 211.53 | 518.06 | 336.04 | 182.02 | 35.13 |
| 2013 | 676.59 | 197.79 | 478.80 | 377.35 | 101.45 | 21.18 |
| 2014 | 622.31 | 216.88 | 405.43 | 368.90 | 36.53 | 9.01 |
| 2015 | 568.34 | 236.84 | 331.50 | 356.63 | -25.13 | -7.58 |

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा

## 2015 dh i.fronu l- 54

जैसे कि उपर देखा जा सकता है एफ सी आई में वर्ष 2015 के अलावा वर्ष 2010–2014 के दौरान भंडारण क्षमता में 9 से 35 प्रतिशत के क्षेत्र में कमी आई थी जबकि केन्द्रीय पूल में अनाज के कमी और डी सी पी राज्यों द्वारा प्राप्ति में वृद्धिके कारण अनाज का स्टाक कम था।

pkVZ 6 % ,Q lh vkbZ esa HkaMkj.k {kerk esa vrj

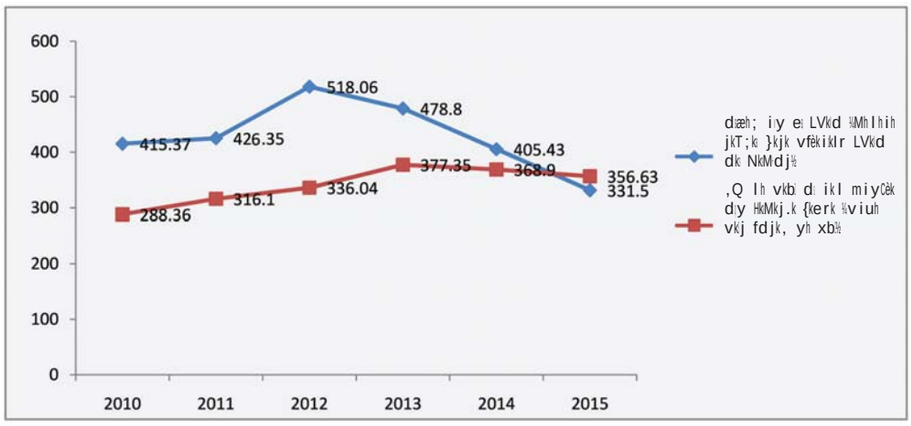




## 4-3-2 jkT; fof'k"V ekeys

क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से चयनित राज्यों में भंडारण क्षमताओं में कमियों का पता चला जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

असमः एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत राज्य के लिए 1.33 लाख मी.ट. खाद्यान्न के मासिक आबंटन को ध्यान में रखते हुए, राज्य को 3 महीने के लिए 3.99 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता रखनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के पास 2.84 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता थी जिसमें से 1.16 लाख मी.ट. खाद्यान्न के भंडारण हेतु उपयुक्त नहीं था। चुनिन्दा जिलों के एफ पी एस तथा गोदामों के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि 40 चयनित एफ पी एस में से सात ने लिविंग एवं बैड रूम्स में खाद्यान्न का भंडार किया था। कमरों की स्थिति नम पाई गई थी।

fp= 3 % ver vyh ,Q ih ,l] fcyk'khikMk] ncjh] vle dk cM+ ,oa fyfoax :e esa j[kk x;k HkaMkj

fcgkj % राज्य सरकार ने मंत्रालय के निदेशक (एन.एफ.एस.ए.) को सूचना भेजी ( जनवरी 2014) कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न के भंडारण हेतु राज्य

में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त एवं वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन किया गया था। आबंटन के अनुसार मासिक अपेक्षित क्षमता 4.095 लाख मी.ट. थी जबकि 19.37 प्रतिशत की कमी छोड़ते हुए मार्च 2015 को उपलब्ध क्षमता केवल 3.302 लाख मी.ट. (80.63 प्रतिशत) थी।

**fgekpy insn'k %** टी पी डी एस तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 0.59 लाख मी.ट. खाद्यान्न के औसत मासिक आबंटन के प्रति, राज्य में कुल क्षमता केवल 0.54 लाख मी.ट. थी।

**Økkj[k.M %** राज्य ने निर्णय लिया कि जिलों में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता, तीन महीने की मानक मांग के प्रति, खाद्यान्न की मासिक मांग से दुगुनी होनी चाहिए। यह देखा गया था कि राज्य की खाद्यान्न की भंडारण क्षमता 0.66 लाख मी.ट. थी जबकि दो महीने के लिए भंडारण की मांग 3.10 लाख मी.ट. थी। यह भी देखा गया था कि भंडारण मांग को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने 2010–11 से 2014–15 के दौरान 1.71 लाख मी.ट. की भंडारण क्षमता के सृजन का निर्णय लिया। नमूनागत चार जिलों[13] में नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था की राज्य सरकार ने विभिन्न क्षमता के 71 गोदाम स्वीकृत किए। 53 निर्मित गोदामों में से, 0.03 लाख मी.ट. क्षमता वाले छः गोदाम बिना किसी पहुँच सड़क के दूरस्थ स्थान अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति के कारण प्रयोग हेतु अनुपयुक्त पाए गए।

fp= 4 % pk;cklk lnj Cykd esa [kjkc pkoy

fp= 5% idq Cykd xksnke esa xhyk [kk|kUu

**egkjk"V %** 2011–15 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने 233 गोदामों का निर्माण अनुमोदित किया जिसकी भंडारण क्षमता 3.24 लाख मी.ट. थी। यह सूचित किया गया था कि निविदाकरण/अनुभाग प्रक्रिया 18 गोदामों में चल रही थी, 105 गोदामों में कार्य प्रगतिधीन थे जबकि केवल 93 गोदामों का निर्माण पूरा हुआ था (अक्तूबर 2015)।

[13] गिरिडीह, गुमला, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम

## *2015 dh ifronu l- 54*

mŸkj inशk% यह देखा गया था कि विद्यमान टी पी डी एस के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न हेतु भंडारण सुविधा, राज्य के 817 ब्लॉकों में से 406 ब्लॉकों में अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न को खुले क्षेत्र में रखना पड़ा। चूंकि, एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन पर राज्य के खाद्यान्न का आबंटन 46 प्रतिशत बढ़ा, जिससे पहले से ही कमी वाले ब्लॉकों में भंडारण सुविधा का दबाव बढ़ गया, तथा राज्य बढ़े हुए आबंटन को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था।

मंत्रालय ने बताया कि समग्र रूप से केन्द्रीय खाधान्न पूल में भंडारण हेतु पर्याप्त क्षमता थी।

किन्तु मंत्रालय का तर्क था कि देश में 792.48 लाख मी. टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी जो कि सही नही थी वर्ष 2010–2014 के दौरान केन्द्रीय पूल स्टाक 9 से 35 *प्रतिशत* था जो कि एफ सी आई की कुल भंडारण क्षमता में गिरावट थी। जैसा कि मंत्रालय ने बताया कि देश में उपलब्ध भंडारण क्षमता की तैयारी का गलत आकलन करना सही नहीं था जब तक कि अतिरिक्त भंडारण की क्षमता एफ सी आई द्वारा प्रबंध और राज्य वार पहचान न हो।

मंत्रालय ने आगे बताया कि कुछ राज्यो में भंडारण क्षमता उपयुक्त परिस्थितियों की तुलना में आवश्यक तीन महीने की जरूरत से कम है। इन राज्यों में क्षमता वृद्धि की योजना लागू की जानी है।

उत्तर अनौपचारिक है क्योकि लेखापरीक्षा में कई राज्यों में अपर्याप्त एवं अनुचित भंडारण पाए गए थे।

### fu"d"k

राज्य मोटे तौर पर आबंटन के रसद के रखरखाव, खाद्यान्न की ढुलाई और भंडारण को संभालने के लिए तैयार नहीं थें जो कि एन.एफ.एस.ए. के सफल और दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक था। मंत्रालय ने खाद्यान्न की ढुलाई में अवरोधों को हटाने के संबंध में कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि वह राष्ट्रीय खाद्यान्न ढुलाई योजना की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सकी और उसे अन्तिम रूप प्रदान नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, एफ सी आई के पास भंडारण क्षमता अपर्याप्त थी। नमूना जांच किए गए राज्यों में खाद्यान्न की तीन महीने की मांग को रखने के लिए भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं

पाई गई। राज्यों के पास विद्यमान भंडारण क्षमता की स्थिति में भी उन्नयनीकरण और सुधार की आवश्यकता थी।

इस प्रकार एन.एफ.एस.ए. की पश्च अधिसूचनाओं में पर्याप्त सुधार नहीं थे। वैज्ञानिक तथा आधुनिक सुविधाओं के सृजन हेतु एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। यह समस्या भविष्य में और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ढुलाई की मांग तेजी से बढ़ रही है।

***अनुशंसाएं***

i) *राष्ट्रीय खाद्यान्न मूवमेंट योजना को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा खाद्यान्न की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एन.एफ.एस.ए. के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए।*

ii) *मंत्रालय को खाद्यान्न की भंडारण क्षमता को बढ़ाने तथा विद्यमान भंडारण सुविधाओं को उन्नयन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।*